दैनिक जागरण
पटना, 4 अप्रैल 2019 | 3

आइसीआइसीआइ बिल्डिंग को जब्त करने में जुटा रेरा

बैंक को किराया भुगतान रोकने का दिया आदेश, नौ वर्ष से लंबित भवन निर्माण कार्य, पटना नगर निगम की कार्यप्रणाली पर खड़ा किया सवाल

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने पाटलीपुत्र कॉलोनी स्थित रामसुयश प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग प्रा. लिमिडेट की मीरा अपार्टमेंट बिल्डिंग को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेरा की जांच में बिल्डर पर नौ वर्ष बाद भी मीरा अपार्टमेंट में निर्माण कार्य पूरा नहीं करने और कई खरीदारों फ्लैट नहीं देने मामला सामने आया है। यही नहीं, रेरा ने फ्लैट खरीद कर आइसीआइसीआइ बैंक को किराये पर देने के मामले में भी नाराजगी जताई है। बैंक प्रबंधन को सख्त चेतावनी देते हुए भवन मालिक को तत्काल किराया भुगतान बंद करने का आदेश दिया है।

रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और एसके सिन्हा ने लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश दिया है। यही नहीं, 30 अप्रैल को फिर से सभी पक्षों को सुनवाई के लिए तलब भी किया है। रेरा ने अधूरे भवन के मालिक राहुल सिंह और पूनम सिंह द्वारा बैंक को झांसे में रखकर निर्माण कार्य पूरा हुए बगैर भवन को किराए पर देने को लेकर सख्त नाराजगी भी जताई है। महत्वपूर्ण यह है कि पटना नगर निगम की कार्यप्रणाली पर रेरा ने सवाल खड़ा किया है। रेरा ने माना है कि रियल इस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की

पाटलिपुत्र इलाके में स्थित बिल्डिंग।

धारा 17 के तहत, धारा बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 के (2) और बिहार भवन 15-16 कानून 2014 का उल्लंघन है।

कहा है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 327 के अनुसार, बेंच को लगता है कि मीरा अपार्टमेंट के खिलाफ रियल इस्टेट की धारा 36 के तहत अंतरिम आदेश पारित करने की तत्काल आवश्यकता है।